विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था

डॉ. गिरिराज सिंह चौहान
सहायक आचार्य, उदयपुर, राजस्थान

"उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं जिसका समय आ गया है"

विक्टर ह्यूगो

सार

पुलिस व्यवस्था, पुलिसिंग तथा उसमें सुधार एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन समय की मांग है। प्रस्तुत लेख इसी संदर्भ में 21वीं सदी के संदर्भ में विशिष्ट पुलिस व्यवस्था या विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था की वकालत करता है। यह लेख प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए एक विशिष्ट दक्ष पुलिस बल एवं उसके विभिन्न आयामों के साथ-साथ भारत में जनजातीय समुदाय के संदर्भ में, एक विशिष्ट पुलिस बल की आवश्यकता का वर्णन करता है। बदलती परिस्थितियों में यह बदलाव आवश्यक है।

संकेत शब्द: विशिष्ट पुलिस बल, शहरी पुलिस, पुलिसिंग मॉडल, जनजातीय क्षेत्र, मोताना

पुलिस का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस शब्द की उत्पत्ति का एक क्रम है। सर्वप्रथम यूनानी भाषा में पोलिस शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ जिसका अर्थ शहर या राज व्यवस्था से था और राज व्यवस्था को पॉलिसिया के द्वारा संचालित किया जाता था। पॉलिसिया का अर्थ नागरिकता से था। उसके पश्चात यह मध्यवर्ती फ्रांसीसी भाषा के द्वारा अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित हुआ। फ्रांसीसी शब्द पुलिस का अर्थ कांस्टेबल से ना होकर सरकार से था परंतु धीरे-धीरे यह कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले बल के रूप में जाना जाने लगा और आधुनिक पुलिस व्यवस्था पूरे विश्व में फैली। भारत में भी आइरिश कांस्टेबुलारी व्यवस्था के आधार पर एक आधुनिक पुलिस व्यवस्था का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया और उसका एक क्रमिक विकास हुआ। संरचना के तौर पर इस पुलिस व्यवस्था का मुख्य प्रकार्य कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना था और वह कमोबेश एक जैसी रही। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस व्यवस्था ने अनेक दबाव और तनाव के भीतर कार्य किया है और कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि विशिष्ट प्रकार के थे। इसमें कई प्रकार की चुनौतियां और असफलताएं भी थी परंतु एक मूलभूत स्थायित्व रखने में भारत की पुलिस व्यवस्था कमोबेश सफल रही।

विश्व में पुलिस का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर हम उसकी उत्पत्ति की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न हुई। और विभिन्न कालों में होती हुई आज के आधुनिक संदर्भ में पहुंची है। पूरे विश्व में पुलिसिंग की कार्यप्रणाली अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। भारत में भी पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। हर राज्य में एक ही पुलिस प्रणाली है जो कि उसके शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होती है। इसके अलावा

पुलिसिंग के विशेष दायित्व भी हैं जैसे अनुसंधान, ट्रैफिक, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, दंगों को रोकना, महामारिओं के समय व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव करवाना आदि-आदि। आज के आधुनिक संदर्भ में पुलिस को विशिष्ट होने की जरूरत है। उसकी संरचना तो एक हो सकती है लेकिन उसके बहुत अलग-अलग विशिष्ट कार्य हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञानो में प्रयोग किया जाने वाला संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि एक ही संरचना के अलग-अलग विशिष्ट कार्य हो सकते हैं। और इसका लाभ यह है कि एक ही प्रकार की संरचना विभिन्न प्रकार के विशेषीकृत कार्य कर सकती है। आज के आधुनिक संदर्भों में और विशेषकर भारत के संदर्भ में जो कि एक बहु स्तरीय या मल्टीलेयर्ड देश है इसमें पुलिस और उसकी विशिष्ट कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। जैसे एक शहरी पुलिस की अलग आवश्यकता है और एक ग्रामीण पुलिस की अलग आवश्यकता है। क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकता अलग-अलग हैं। हमारे यहां ऐसा कोई विभाजन नहीं है जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था अलग अलग हो। हालांकि विभिन्न आयोगों और समितियों ने इस विशेषीकरण पर जोर दिया है।

विशेषीकृत शहरी पुलिस व्यवस्था

शहरी क्षेत्र का नियंत्रण एवं प्रबंधन शहरी पुलिस रणनीति का ऐतिहासिक रूप से हिस्सा रहा है। शहरों की विशिष्ट विशेषताओं के कारण शहरी पुलिस व्यवस्था शासन की एक प्रमुख केंद्रीय चुनौती रही है। यह चुनौती उच्च आय वाले देशों से लेकर मध्य एवं निम्न आय वाले देशों में भी मौजूद है। अर्जेंटीना, ब्राजील, जमैका, मेक्सिको, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में तो शहरी पुलिस व्यवस्था का नियंत्रण एवं प्रबंधन चुनौती है ही है भारत में भी यह अब चुनौती बनकर उभर रही है।

एक अनुमान के मुताबिक विश्व की आधी आबादी शहरों में रहती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं लेटिन अमेरिका बीसवीं सदी के मध्य से मुख्य रूप से शहरी आबादी वाले महाद्वीप हो गए। आगे के दो-तीन दशकों में एशिया और अफ्रीका की अधिकतर आबादी भी शहरों में अधिवास करने लग जाएगी। यह बहुत सारी शासन की चुनौतियों के साथ साथ पुलिस व्यवस्था की चुनौती भी लाएगी। अलग-अलग शहरी इको सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र अलग प्रकार से पुलिस की चुनौतियां पैदा करते हैं।

भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण वाला देश है। अगर हम 1901 की जनसंख्या को देखें तो भारत में शहरी आबादी मात्र 10.8% थी। और यह हर जनगणना के बाद बढ़ती गई।1951 मैं यह 17.3 % हो गई और 2011 की जनगणना मैं यह 31.2% हो गई। विश्व बैंक के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुमानित शहरी जनसंख्या लगभग 34. 4% है। सन 2021 की जनगणना जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है उसमें भी भारत की शहरी जनसंख्या बढ़ने का अनुमान है।। शहरी क्षेत्र की आवश्यकताएं बहुत अलग है। एक विशेष पुलिस की आवश्यकता है जो शहर की परिस्थितियों, उसके भूगोल, उसकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली, और उसके लोगों की मनोवृति को समझ सके। शहरी क्षेत्रों में एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा पुलिस लोगों के संपर्क में आती है तो वह है ट्रैफिक पुलिस स्तर पर। इसलिए अर्बन पुलिसिंग या शहरी पुलिस के एक अलग पुलिस होनी चाहिए जो कि इन शहरों की

आवश्यकताओं को समझ कर उसके लिए प्रशिक्षित हो। ताकि शहरों का प्रबंधन बेहतर रूप से हो सके। इसी तरीके से ग्रामीण पुलिस भी एक अलग पुलिस होनी चाहिए जो गांवों की समस्याओं को समझ कर, लोगों की प्रवृत्तियों को समझ कर उसके अनुसार कार्य कर सकें। इसी तरीके से विशिष्ट क्षेत्रों जैसे जनजाति क्षेत्रों में भी पुलिस की अलग आवश्यकता है।

जनसंख्या नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। इन्हीं नियमों के अनुसार जिन कस्बों की जनसंख्या 1,00,000 से अधिक होती है उन्हें शहर कहा जाता है। कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974 के सेक्शन 8 के अनुसार ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो उससे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कहा जाता है।

भारत के इतिहास के मध्य काल में पुलिस व्यवस्था शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी तथा अंदरूनी क्षेत्रों में तथा गांव में यह व्यवस्था जमीदारों तथा भू स्वामियों पर छोड़ दी गई थी। ब्रिटिश काल में तथा 1861 के पुलिस अधिनियम के लागू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने पुलिस व्यवस्था को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन बहुत दूर-दूर फैले हुए थे जिसके कारण वह इतनी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। पुलिस के अधिकांश संसाधन शहरी क्षेत्रों पर ही खर्च हो रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यही व्यवस्था कमोबेश लागू रही और पुलिस की पर्यवेक्षण व्यवस्था का केंद्र शहर ही रहे। पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था और उनकी चेतना में परिवर्तन आया है और अब राज्य से और उसके अंग पुलिस से ग्रामीण क्षेत्र की भी आकांक्षाएं बढ़ गई जिसके कारण अब यह जरूरत महसूस की जाने लगी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दक्ष और विशिष्ट पुलिस बल बनाया जाए जो कि ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षित हो और इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए भी एक अलग पुलिस व्यवस्था या विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक लगाएं जाए क्योंकि भारत की शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी की कानून व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में अलग-अलग नई चुनौतियां आ रही हैं।

शहरी क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था में कानून व्यवस्था की सामान्य समस्याओं के साथ-साथ संगठित एवं असंगठित अपराध, तथा किसी घटित अपराध के संबंध में त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। शहरी अपराध की प्रकृति भी अलग है।

शहरी क्षेत्रों में कानूनी व्यवस्था की समस्या ज्यादा आती है तथा इसका कारण विभिन्न प्रकार के संगठित समूह का शहरों में होना है जिसमें छात्र, मजदूर वर्ग, सफेदकॉलर पेशे के लोग, एक छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं। शहरी क्षेत्रों में सेवाएं तथा सुविधाएं जैसे कि निवास तथा यातायत की सेवाएं जनसंख्या के अनुसार पूर्ण नहीं है जिसके कारण इन सेवाओं के लाभ लेने के लिए लोगों में संघर्ष होता है जोकि कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शहरों में यातायात की समस्या, बंद, हड़ताल एवं प्रदर्शन की समस्या, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के कारण धन के बड़े प्रवाह की समस्या आदि अपराध को जन्म देते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनता की चेतना भी पुलिस से अधिक क्रियाशील होकर कार्य करने की मांग करती है।

जैसा की पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि भारत के शहरी क्षेत्रों की अलग और विशिष्ट समस्याएं हैं और इसी कारण से अपराधों के भी अलग प्रकार हैं और कानून एवं व्यवस्था प्रशासन की भी अलग चुनौतियां हैं। अतःविशिष्ट उपाय करने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में पुलिस पूर्ण रूप से संसाधनों से युक्त होनी चाहिए जिससे कि वह त्वरित एवं प्रभाव पूर्ण रूप से कार्य कर सकें, वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) ने अपनी छठी रिपोर्ट में शहरी पुलिस तथा उससे संबंधित विभिन्न आयामों जिसमें मानव संसाधन, उपकरणों, प्रशिक्षण, विशेषीकृत संगठनात्मक ढांचे, यातायात व्यवस्था एवं नियंत्रण, जनसंपर्क तथा पुलिसिंग के विशिष्ट पैटर्न शामिल है पर अपनी अनुशंसा दी थी। उनका पुनः संक्षिप्त रूप से उल्लेख आवश्यक है क्योंकि वे अभी भी उतनी ही महत्व की है साथ ही नए संदर्भों में शहरी पुलिस व्यवस्था कैसी हो उसके संबंध में भी इसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण है।

मानव संसाधन

पुलिस हमेशा से ही पर्याप्त मानव संसाधनों से जूझती रही है अतः शहरी क्षेत्रों में साल में तीन बार मानव संसाधन का मूल्यांकन होना चाहिए ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

उपकरण

पुलिस को पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। हाल के दिनों में, पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है परंतु इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है

यातायात के साधन

पुलिस को अपने विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात के साधन चाहिए। यह अपराध नियंत्रण, जांच तथा प्रीवेंटिव कार्यों के लिए चाहिए होते हैं। यातायात के साधन पर्याप्त रूप से पुलिस स्टेशन लेवल तक होने चाहिए।

संचार

पुलिस को संचार एवं संचार के साधनों की आवश्यकता दो रूपों में होती हैं। पहला लोगों से संपर्क बनाने में तथा दूसरा संगठन के भीतर एक दूसरे से संपर्क बनाने में। अतः उसकी संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए।

वैज्ञानिक सहायता

साइंटिफिक एड या वैज्ञानिक सहायता से आशय अपराध की जांचों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और उनके लिए विशेष प्रकार की उपकरण और वाहनों का प्रयोग शामिल है।

एकल डिजिट ब्यूरो

अपराधियों की पहचान के लिए तथा उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए सिंगल डिजिट ब्यूरो की भी स्थापना की अनुशंसा की गई थी

इसके अलावा **कंप्यूटर, नियंत्रण कक्षों की स्थापना, कानूनी व्यवस्था के उपकरण, पुलिस स्टेशन भवन, विशेष प्रशिक्षण, संगठनात्मक ढांचे में बदलाव, स्पेशल स्क्वैड्स, मीडिया से संबंध, शहरी क्षेत्रों में पुलिसिंग के विशिष्ट पैटर्न** पर बल दिया गया था जिससे कि एक विशेष प्रकार के शहरी पुलिस व्यवस्था का निर्माण किया जा सके।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अलावा विभिन्न समितियों और आयोगों ने और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी पुलिस के विशेषीकरण पर जोर दिया है। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूएन हैबिटेट और उसके सुझाव महत्वपूर्ण है

संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी **यूएन हैबिटेट** के अनुसार मध्य एवं निम्न आय वाले राष्ट्रों में शहरी पुलिस की निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

1. स्थानीय अनौपचारिक संरचनाओं द्वारा व्यवस्था का प्रबंधन
2. संसाधनों के लिए टकराव
3. आधारभूत शहरी सेवाओं के गैर-वैधानिक प्रावधान एवं तरीके
4. क्षेत्रों एवं सेवाओं का अनौपचारिकरण
5. पूर्ण रूप से उच्च स्तर का अपवंचन।
6. अमीर एवं गरीबों के बीच गंभीर तनाव
7. पुलिस का राजनीतिक हिंसा एवं आतंकवाद का सामना करना

सूक्ष्म स्तर पर भी निम्न एवं मध्यम वर्गीय राष्ट्रों में यूएन हैबिटेट के अनुसार पुलिस की निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

1. बहुत कम शुद्ध नक्शों का उपलब्ध होना, गलियों का उबड़-खाबड़ होना तथा बेढंग का होना और साथ ही निम्न स्तर का आधारभूत ढांचा होना।
2. लोगों का पुलिस के साथ कार्य करने से हिचकिचाना तथा आपसी विश्वास का अभाव
3. कुछ क्षेत्रों पर अपराधी तत्वों का हावी होना
4. बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित अपराध का डाटा नहीं होना
5. गेटेड समुदायों का अस्तित्व में होना तथा निजी सुरक्षा सेवा जिसके कारण कानून लागू करने वाली संस्थाओं की सीमित पहुंच
6. सीमित, अक्षम सड़क तथा यातायात व्यवस्था
7. गरीबी तथा जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से का आर्थिक एवं सामाजिक अपवंचन
8. अति सतर्कता (विजिलेंटिज्म)

यूएन हैबिटेट एवं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न उपाय सुझाने के साथ-साथ कुछ प्रतिमान (मॉडल) भी बताए हैं।

शहरी पुलिस के लिए कुछ अनुशंसित प्रतिमान (मॉडल)

1. समुदाय उन्मुख पुलिस- समुदाय-उन्मुख पुलिसिंग। पुलिस कमांडिंग के विकास और क्रियान्वयन पर पड़ोस की आबादी के साथ काम करने के लिए स्थानीय कमांडरों और फ्रंट लाइन अधिकारियों को सक्षम करने के लिए पुलिस नीति को विकेन्द्रीकृत करने की जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करना।
2. समस्या उन्मुख पुलिस-समस्या-उन्मुख पुलिसिंग: एक पुलिसिंग रणनीति जो अपराध को रोकने के लिए विशिष्ट घटनाओं का जवाब देने के बजाय अपराध को रोकने और अपराध की समस्याओं को हल करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए सबूत, अनुसंधान और सामुदायिक संपर्कों का उपयोग करने पर केंद्रित है।

3. आसूचना आधारित पुलिस- एक पुलिसिंग रणनीति जो आपराधिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि प्रवर्तन और गश्त के प्रयासों से इन गतिविधियों को बाधित किया जा सके।

4. घटना आधारित पुलिस -रणनीतियाँ जो अच्छी तरह से पुलिस बंदोबस्त और व्यापारिक जिलों में एक नियमित पुलिस उपस्थिति और अन्य पड़ोस में कम दूरी पर पुलिस की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

घटना आधारित पुलिस प्रणाली एक परंपरागत पुलिस प्रणाली है। उपरोक्त अन्य तीन पुलिस प्रणालियां शहरी पुलिस प्रशासन एवं पुलिस व्यवस्था के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

यहां इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण एक पुलिस व्यवस्था की जरूरत है जो कि शहरों के संदर्भ में विशिष्ट हो लेकिन साथ ही उसका वैधानिक आधार क्या होगा और वह किस प्रकार से मूर्त रूप में आएगी उस पर हमारे नीति नियंता एवं कानून निर्माताओं को सोचने की जरूरत है। इस संबंध में, यह किया जा सकता है कि जो वर्तमान में उपलब्ध पुलिस बल है उसमें से ही कुछ कार्मिकों को शहरी क्षेत्र की पुलिसिंग के लिए दक्ष किया जा सकता है। और इस संबंध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश की मध्य एवं निम्न स्तरीय कर्मचारियों को इसमें प्रशिक्षित कर उन्हें इन विशिष्ट पुलिस बलों के लिए तैयार किया जा सकता है काफी महत्वपूर्ण है। अब विशिष्ट प्रकार के पुलिस बल विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए जरूरत बन गए हैं और इस विचार को लंबे समय तक नकारा नहीं जा सकता है।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पुलिस व्यवस्था

भारत की जनसंख्या की आबादी में सन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 8.6% जनसंख्या जनजाति की है जो की जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य के वंचित समुदायों और विशेषकर जनजातीय समुदायों की विशेष संस्कृति और परंपराएं हैं। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात जनजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेसा अधिनियम बनाया गया था और साथ ही राष्ट्रीय वन अधिकार कानून 2006 भी बनाया गया। भारत की जनजातियां भारत के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं और उनकी कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी सामान्य जनसंख्या से कुछ मामलों में अलग है। अतः जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी कानून एवं व्यवस्था के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट पुलिस बल की आवश्यकता है जो की जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर सकें। यह विशिष्ट पुलिस बल जनजातीय परंपराओं, संस्थाओं, उनकी कार्यशैलियों आदि को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित हो तथा उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील भी हो तभी वह सफल रूप से कार्य कर पाएगी। उदाहरण के लिए दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मौताना एक व्यापक समस्या है जिसके अंतर्गत किसी जनजाति समुदाय के व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। यह मांग प्रशासन एवं सरकार से भी हो सकती हैं या उस व्यक्ति से भी की जा सकती है जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई हो। मौताना प्रथा इसलिए प्रारंभ हुई की दुर्घटना में जान गवाने वाले व्यक्ति के परिवार को भविष्य में कुछ सुरक्षा दी जा सके परंतु धीरे-धीरे इस

प्रथा में हिंसा का तत्व शामिल हो गया और शनै-शनै यह कानून व्यवस्था प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार की पुलिस बल की आवश्यकता है जो जनजातियों की विभिन्न परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार कार्य करें और वह भी सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ जिससे कि किसी प्रकार से विधि के शासन का उल्लंघन ना हो।

बीसवीं सदी के अंत और 21 सदी के प्रारंभ में विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था तथा तकनीक के क्षेत्र में हुए हैं और अत्यधिक तेजी से हुए। इन परिवर्तनों के साथ पुलिसिंग के कार्य में भी विभिन्न चुनौतियां उभरी है और विशिष्ट करण के द्वारा इन चुनौतियों से यथासंभव निपटा जा सकता है।

संदर्भ

बावा, पीएस (2020). अर्बन पुलिसिंग. https://eprints.soas.ac.uk/17278/1/1999/483/483%20bawa.htm पर उपलब्ध

चौधरी, रोहित (2010). पुलिसिंग:रीइन्वेंशन स्ट्रैटेजिस इन ए मार्केटिंग फ्रेमवर्क. सेज पब्लिशिंग.

लेपोरे,जिल.(2020,जुलाई 13).दी इन्वेंशन ऑफ पुलिस. दि न्यूयॉर्कर https://www.newyorker.com/magazine/2020/07/20/the-invention-of-the-police?utm_campaign=falcon&utm_source=twitter&utm_social-type=owned&mbid=social_twitter&utm_medium=soc पर उपलब्ध

नेशनल पुलिस कमिशन, (1981). जि ओ आई. सिक्स्थ रिपोर्ट https://police.py.gov.in/Police%20Commission%20reports/6th%20Police%20Commission%20Report.pdf. पर उपलब्ध

शर्मा, आशा (2014, जून 14). राजस्थान: लाश झूलती रही लोग मोलभाव करते रहे. बीबीसी हिंदी. https://www.bbc.com/hindi/mobile/india/2014/06/140612_rajasthan_mautana_ap पर उपलब्ध

सुब्रमण्यम,केएस(2007). पॉलीटिकल वायलेंस एंड पुलिस इन इंडिया. सेज पब्लिशिंग